राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1123/2023

उमेश चन्द गुर्जर (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीपी201607000364)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.03.2023
आदेश की दिनांक : 31.03.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखदेव सिंह सोलंकी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर रा.उ.मा.वि. सिंघाड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2015 में नियुक्त हुआ था। इसके पश्चात् अपीलार्थी ने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से की, जिसे उन्होंने अपनी सेवा पुस्तिका में जोड़ने के लिए विभाग को प्रार्थना की थी, परंतु उनकी उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का इन्द्राज सेवा अभिलेख में नहीं की गई और योग्यता की अभिवृद्धि आदेश पारित नहीं किया गया। उनका आगे तर्क है कि वर्तमान में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से जमादार के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2022–23 हेतु अस्थाई पात्रता सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 330 पर रखा गया है। अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी की उच्च माध्यमिक शिक्षा की योग्यता को उसकी सेवा पुस्तिका में नहीं जोड़ा

गया है, जबकि अपीलार्थी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल होने से पूर्व विभाग को एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था। अतः उसकी उच्च माध्यमिक शिक्षा की योग्यता को सेवा पुस्तिका में जोड़कर उसकी पदोन्नति एल.डी.सी. पद पर की जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)